48
[27/7/2017]

प्रश्न सं. [क. 1435]

अतारांकित प्र.क्र. 1435; सदस्य - मो. श्रीमति सरस्वती सिंह   परिशिष्ट E

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

क्रमांक 20/6/86/11/स   भोपाल, दिनांक 30 दिसंबर, 86

प्रति

उद्योग आयुक्त,
म०प्र० भोपाल ।

विषय :- उद्यमी विकास प्रशिक्षण संस्थान की म.प्र.में स्थापना के संबंध में ।

सन्दर्भ :- आपका ज्ञापन क्रं.67/जि.उ.के./12/82/11144, दि० 16-10-86

उपरोक्त विषय में उद्यमी विकास प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव है, इस उद्यमी विकास प्रशिक्षण हेतु जो संस्थान कार्यरत है वह प्रति वर्ष मात्र 800 व्यक्तियों को ही प्रशिक्षण दे पाते हैं तथा 30% व्यक्ति ही स्वयं का रोजगार स्थापित करते हैं । ऐसी स्थिति में उद्यमी विकास प्रशिक्षण स्थापना को विशाल रूप दिया जाना है ।

2. इस संस्थान की रचना के संबंध पर विचार विमर्श कर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से भी संपर्क किया गया है । और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की राय अनुसार संस्थान की पूर्ण योजना डॉ० व्ही.जी. पटेल, विशेषज्ञ की सहायता से बनाकर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को भेजा गया है । इस योजना में निम्नलिखित प्रमुख बिन्दु होंगे :-

1- योजना का क्रियान्वयन एक पंजीकृत संस्था द्वारा किया जावेगा ।

2- प्रस्तावित योजना पर होने वाला व्यय जिसमें तीन वर्ष के लिए पूंजीगत अनावर्ती व्यय रू0 42 लाख एवं वर्ष वेतन, भत्ते, स्टेशनरी आदि तथा प्रशिक्षण पर 10 लाख का आवर्ती व्यय होगा ।

3- योजना पर अनावर्ती व्यय का 50% भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा एवं 25 प्रतिशत अन्य व्यापारिक बैंक वहन किया जाएगा और राज्य शासन द्वारा अनावर्ती व्यय का 25 प्रतिशत वाहन किया जावेगा ।

निरन्तर 2.......

Recd. Letter
1 JAN 87

(सहायक संचालक)

4- जहाँ तक अनावर्ती व्यय का संबंध है, संस्थान द्वारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम से आय होगी, उससे वहन करने का प्रयास किया जावेगा । अगर किसी प्रकार का वर्ष में घाटा हो तो उस घाटे का 50 प्रतिशत प्रथम पांच वर्षों की अवधि का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया जाएगा ।

5- संस्थान की गवर्निंग बाडी में 15 व्यक्ति निम्नानुसार नामांकित किए जायेंगे :-

1-	केन्द्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा	4 व्यक्ति
2-	व्यापारिक बैंकों से	2 -"-
3-	राज्य शासन एवं राज्य स्तरीय संस्थान से	4 -"-
4-	गवर्निंग बाडी से	4 -"-
5-	राज्य शासन द्वारा नामांकित संस्था के संचालक	1 -"-
	कुल	15 व्यक्ति

6- राज्य शासन इस संस्थान के लिए बिना कीमत लिये भूमि प्रदान करेगा ।

3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राज्य शासन से उक्त प्रस्ताव/ शर्तों पर स्वीकृति चाही गई है, राज्य शासन सहमत है । अतः अनुरोध है कि भारतीय औद्योगिक बैंक के परामर्श से संस्थान के संबंध में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शीघ्र बनाकर भेजने का कष्ट करें ।

(एच0 के0 मीना)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

निरन्तर 3.......

46

284

पृ०क्र० 20/6/86/11/स

भोपाल, दिनांक दिसंबर, 86

प्रतिलिपि :-

डिप्टी जनरल मैनेजर, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, गंगोत्री छटवां तल, टी.टी. नगर, भोपाल को और उनके पत्र क्रमांक आई.पी.डी./32, दिनांक 30-10-86 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर अनुरोध है कि राज्य शासन आपके प्रस्ताव/शर्तों से औपचारिक रूप से सहमत है। कृपया संस्थान के संबंध में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने के लिए उद्योग आयुक्त को आवश्यक परामर्श व मार्ग-दर्शन उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(एच० के० मीना)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

गोस्वामी/291286/

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
लघु और मध्यम उद्योग विभाग